लोक सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के उदेश्य

- सरकारी कार्यालयों / सार्वजनिक प्राधिकरण में उपलब्ध सूचनाओं एवं दस्तवेजों तक पहुँच
- सरकारी कार्यालयों मे संपादित होने वाले क्रिया कलापों में खुलापा एवं पारर्दशिता लाना
- आम लोग की सहभागिता सुनिश्चित करना
- भ्रष्टाचार में कमी लाना
- जवाबदेही सुनिश्चित करना
- सामान्य सूचना उपलब्ध कराने एवं संवेदनशील सूचना गोपनीय रखने में संतुलन कायम रखना

सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority)

संविधान, संसद, राज्य विधायिका, या सरकारी अधिसूचना द्वारा स्थापित स्वशासन का कोई भी निकाय या संस्थान। इसमें सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन भी शामिल हैं।

सूचना (Information):

किसी लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध कोई भी सामग्री किसी रूप में, यथा---

- अभिलेख, दस्तावेज, ई-मेल, परिपत्र, मंतव्य,
- ज्ञापन, परामर्श, प्रेस रिलीज, आदेश, लॉग बुक,
- अनुबंध, रिपोर्ट, नमूना मॉडल,
- किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में आंकड़े।
- इसके अतिरिक्त किसी कंपनी या निजी निकाय के पास उपलब्ध उपयुक्त सामग्री-------

-------यदि किसी कानून के तहत लोक प्राधिकरण को प्राप्य (Accessible) हो तो वह भी सूचना की परिभाषा में आता है।

छूट और अस्वीकृति (Exemptions and Rejections)

संप्रभुता और सुरक्षा (Sovereignty and Security): ऐसी जानकारी जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या रणनीतिक हितों को प्रभावित करती हो।

कानूनी प्रतिबंध (Legal Restrictions): ऐसी जानकारी जिसे अदालतों द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो या जो अदालत की अवमानना का कारण बनती हो।

व्यक्तिगत गोपनीयता (Personal Privacy): ऐसी जानकारी जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है और जिससे किसी की गोपनीयता का अनावश्यक हनन होता हो, जब तक कि इसे व्यापक जनहित में उचित न ठहराया जाए।

कॉपीराइट (Copyright): यदि किसी अनुरोध में राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन शामिल है, तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है।

पृथक्करणीयता (Severability): यदि किसी रिकॉर्ड का केवल एक हिस्सा ही छूट के दायरे में आता है, तो शेष गैर-छूट वाला हिस्सा आवेदक को प्रदान किया जाना चाहिए।

- ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने से संसद या राज्य विधायिका के विशेषाधिकार का हनन हो।
- वाणिज्यिक विश्वसनीयता, व्यापारिक गोपनीयता या बौद्धिक संपदा संबंधी सूचना जिसको उजागर करने से तीसरे पक्ष को हानि हो, लेकिन यदि लोक सूचना पदाधिकारी संतुष्ट है तो जनहित में सूचना दे सकते हैं।
- ऐसी सूचना जो विश्वास पर आधारित हो, लेकिन यदि लोक सूचना पदाधिकारी संतुष्ट हो तो जनहित में सूचना दी जा सकती है।
- विदेशी सरकार से प्राप्त गोपनीय सूचना।
- ऐसी सूचना जिसको उपलब्ध कराने से किसी व्यक्ति की जान को खतरा हो।
- ऐसी सूचना जिसके प्रकट करने से अपराधी की गिरफ्तारी, अपराध की जांच प्रक्रिया या अपराधी के विरूद्ध मुकदमा चलाना बाधित हो।
- कैबिनेट के अभिलेख जिसमें विचार विमर्श हो, परंतु मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद सूचना दी जाती है।
- ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत हो, जिसका जनहित से कोई सरोकार नहीं है और जिसके उजागर करने से किसी व्यक्ति के निजी मामले में अनावश्यक दखलंदाजी हो।

सूचना की प्राप्ती के तरीके

कार्य/रिकॉर्ड का निरीक्षण करने

नोट्स या प्रमाणित प्रतियां लेने

सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने और

डिस्ककेट या टेप जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों में जानकारी प्राप्त करने

सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्व (Obligations of Public Authorities)

सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए जानकारी को व्यवस्थित रखना और उसे स्वतः उजागर करना आवश्यक है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से अनुरोध करने की आवश्यकता कम से कम हो:

•**रिकॉर्ड प्रबंधन (Record Management):** अधिकारियों को रिकॉर्ड को सूचीबद्ध और अनुक्रमित (index) करना चाहिए, और आसान पहुंच के लिए जहां संभव हो, उनका कंप्यूटरीकरण करना चाहिए।

•**स्वतः प्रकटीकरण (Proactive Disclosure):** अधिनियम के लागू होने के 120 दिनों के भीतर, अधिकारियों को अपने संगठन, कार्यों, कर्तव्यों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और बजट के संबंध में विवरण प्रकाशित करने होंगे।

बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006

सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया (नियम 3 एवं 4)

•**आवेदन:** सूचना प्राप्त करने के लिए **प्रपत्र 'क' (Form A)** में आवेदन करना होगा। आवेदन व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या ई-माध्यम (e-medium) से दिया जा सकता है।

•**प्राप्ति रसीद:** आवेदक को **प्रपत्र 'ख' (Form B)** में रसीद दी जाएगी।

•**समय सीमा:** * सामान्य मामलों में सूचना प्राप्ति की अवधि **30 दिन** है।

- यदि सूचना किसी व्यक्ति के **जीवन या स्वतंत्रता** से संबंधित है, तो इसे **48 घंटों** के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

•**अस्वीकृति:** यदि आवेदन अस्वीकार किया जाता है, तो इसकी सूचना **प्रपत्र 'च' (Form F)** में देनी होगी और उसका स्पष्ट कारण बताना होगा।

•**हस्तांतरण:** यदि मामला किसी अन्य विभाग का है, तो आवेदन को **5 दिनों** के भीतर संबंधित विभाग को **प्रपत्र 'ङ' (Form E)** में स्थानांतरित किया जाएगा।

फीस और शुल्क संबंधी नियम (नियम 3 एवं 5)

•**भुगतान के तरीके:** फीस का भुगतान नकद, डिमांड ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर या नॉन-जुडिशियल स्टाम्प के माध्यम से किया जा सकता है।

•**ई-आवेदन:** ई-माध्यम से आवेदन करने पर 7 दिनों के भीतर फीस जमा करना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन वापस लिया हुआ माना जाएगा।

•**BPL छूट:** गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वाले परिवारों के लिए कोई फीस देय नहीं है, बशर्ते वे अपना बीपीएल कार्ड या सक्षम प्राधिकारी (DM/SDO) द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।

अपील की प्रक्रिया (नियम 6)

•**प्रथम अपील:** PIO के निर्णय से संतुष्ट न होने पर आवेदक **30 दिनों** के भीतर **प्रपत्र 'छ' (Form G)** में प्रथम अपीलीय प्राधिकार के पास अपील कर सकता है।

•**द्वितीय अपील:** प्रथम अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध **90 दिनों** के भीतर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की जा सकती है।

•**द्वितीय अपील के लिए आवश्यक विवरण:** आवेदक का नाम-पता, PIO का विवरण, संबंधित आदेश की प्रति, और अपील के आधार।

शिकायत (धारा 18)

केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

शिकायत के मुख्य आधार ----

- यदि लोक सूचना अधिकारी (PIO) की नियुक्ति न होने के कारण आवेदन स्वीकार नहीं किया
- यदि सूचना तक पहुँच से इंकार किया गया हो या निर्धारित समय-सीमा में उत्तर न मिला हो
- यदि माँगा गया शुल्क अनुचित हो
- यदि आवेदक को अपूर्ण, भ्रामक या मिथ्या (गलत) सूचना दी गई हो

आयोग की शक्तियाँ: जाँच के दौरान आयोग को **सिविल प्रक्रिया संहिता 1908** के तहत दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं ।

वह व्यक्तियों को सम्मन जारी कर सकता है, शपथ पत्र पर साक्ष्य ले सकता है और किसी भी लोक अभिलेख (Record) की जाँच कर सकता है ।

प्रथम अपील (धारा 19-1)

•यदि 30 दिनों (PIO के मामले में) या 35 दिनों (APIO के मामले में) के भीतर सूचना न मिले या प्राप्त निर्णय से आवेदक असंतुष्ट हो, तो वह **30 दिनों के भीतर** वरिष्ठ अधिकारी (अपीलीय प्राधिकारी) के समक्ष अपील

•अपील प्रपत्र 'छ' में दाखिल होगी और इसके लिए **10 रुपये** का शुल्क देय है ।

1st अपीलीय प्राधिकारी को सामान्यतः **30 दिनों** के भीतर निर्णय देना होता है, जिसे विशेष परिस्थितियों में लिखित कारणों के साथ **45 दिनों** तक बढ़ाया जा सकता है ।

द्वितीय अपील (धारा 19-3)

•**आधार:** प्रथम अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने पर **90 दिनों के भीतर** राज्य/केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील

•**प्रक्रिया:** अपील के साथ आदेश की सत्यापित प्रति और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होते हैं

•**आयोग का निर्णय:** आयोग का निर्णय बाध्यकारी होता है

दंडात्मक कार्रवाई और क्षतिपूर्ति (धारा 20)

•**आर्थिक दंड (धारा 20-1):** यदि लोक सूचना अधिकारी जानबूझकर सूचना में बाधा डालता है या गलत सूचना देता है, तो आयोग उस पर **25,000 रुपये तक का जुर्माना** लगा सकता है ।

•**विभागीय कार्रवाई (धारा 20-2):** आयोग दोषी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी कर सकता है ।

•**क्षतिपूर्ति (धारा 19-8-b):** आवेदक को हुई क्षति के लिए आयोग लोक प्राधिकार को क्षतिपूर्ति (Compensation) देने का आदेश दे सकता है ।

महत्वपूर्ण न्याय–निर्णय एवं वाद

सूचना के तहत देय विषयों पर न्याय निर्णय

1. संचिका टिप्पणियां, सूचना के प्रकटन से मुक्त नहीं है तथा नागरिकों के पहुँच योग्य है।

(CIC अपील – सत्यपाल Vs TCIL 2006, अभिलेखों के तहत संचिका दिखाने का मामला)

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) भारत सरकार को बेबसाईट पर भ्रामक सूचना प्रकाशित करने के विरूद्ध नोटिस

(CIC अपील–प्यारेलाल वर्मा Vs रेल मंत्रालय, संचिका टिप्पणी को उपलब्धता का मामला, 2006)

3. जीवन एवं स्वतंत्रता पर खतरा को देखते हुए सूचना प्रदान करना उचित नहीं (पृथ्क्करण का सिद्धांत)

(CIC अपील – रामकिशोर प्रसाद Vs DOPT के अधीन CAT में नियुक्ति मामला 2007)

4. अभिलेखों के संरक्षण अवधि के बाद तत्संबंधी सूचना देने से इन्कार करना जायज।

(CIC अपील– गुरबचन सिंह Vs सेना मुख्यालय, 2006 ट्रायल अभिलेख उपलब्धता का मामला)

5. अस्पष्ट आवेदन का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

(**CIC** अपील – एस0के0 रंगा **Vs Content Corporation**, 2007 सम्पूर्ण डाक पंजियों का निरीक्षण की मांग का मामला)

6. आवेदक के इच्छानुकूल, सूचना के रूप में सृजन करना नियम संगत नहीं।

(**CIC** अपील – बीएच विरेश **Vs** केनरा बैंक, 2006 निर्माणाधीन कार्य के बारे में कतिपय सूचनाओं की मांग संवेदकों के बारे में जानकारी **PAN No.** सहित)

(**CIC** अपील – सरवजीत राय **Vs** दिल्ली विकास प्राधिकार कार्यालय के मूल अभिलेखो का निरीक्षण)

7. जिस रूप में सूचना उलब्ध है, उसी रूप में वांछित सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व।

(**CIC** अपील – के0 सेमलानी **Vs** न्यू इंडिया एश्योरेंश कम्पनी बम्बई अनावश्यक रूप से समय एवं संसाधन की बर्वादी से बचने हेतुं निरीक्षण का मामला)

8. भविष्य में की जानेवाली कार्रवाई के बारे में सूचना की मांग नियमानुकूल नहीं।

(CIC अपील – रवि कुमार Vs KAFI बंगलौर, 2006 में अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सूचना का मामला)

9. हिन्दी भाषा में अनुवाद कर सूचना देने का निदेश।

(CIC अपील – जय कुमार जैन Vs दिल्ली विकास प्राधिकरण, 2006 सूचना का अनुवाद करने का मामला)

10. PIO से उसका अभिमत स्पष्टीकरण एवं व्याख्या की मांग करना अधिकार नहीं।

(CIC अपील – राजीव गुप्ता Vs विदेश व्यापार कायलय, 2006 निर्यात लाभ की वसूली में स्पष्टीकरण की मांग का मामला)

11. अभिलेखित मंतव्य की मांग उचित पर प्रश्नावली के रूप में सूचना की मांग का हक नहीं।

(CIC अपील – G.M. चौहान Vs मुख्य आयुक्त अहमदाबाद संचिका में लोक सेवक का अंकित मंत्वय एवं व्यक्तिगत का मामला)

12. हॉ/ना में पूछे गये प्रश्न की सूचना/जल्द का कानूनी औचित्य नहीं।

(CIC अपील – AX जीवन Vs Excise & Custom कमीश्नर, गुजरात, 2006 वेतन भुगतान एवं अवकाश की स्वीकृति संबंधी मामला)

13. क्यों, कब, क्या आदि प्रश्नों के उत्तर सूचना के रूप में देने की बाध्यता नहीं।

(CIC अपील – डी0वी0 राव Vs विधि विभाग, 2006 सामग्री के रूप में उपलब्धता प्रश्न पूछने का मामला)

14. अधिनियम में व्यक्तिगत मंतव्य/सूचना देने का प्रावधान नहीं।

(CIC अपील – G.P. पथरावे Vs UPSC, 2006 अपने विरूद्ध संचालित में अनुशासनिक कार्रवाई का मामला)

15. निर्मित/निर्माणाधीन कार्यों से संबंधित सामग्रियों के नमूने।

(CIC अपील – B.P. श्रीवास्तव Vs दिल्ली नगर निगम) योजनाओं के प्राक्कलन, एम0बी0 आदि की सूचना संबंधी मामले)

16. RTI Act में नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। किसी व्यक्ति, समूह, संबंध या कम्पनी आदि को नही।

(CIC अपील – इन्दर ग्रोवर Vs रेल मंत्रालय, 2006 कम्पनी के निदेशक के हैसियत माना नहीं)

17. सरकारी कर्मी/नागरिक होने के नाते आवेदन **PIO** को भेज सकता है।

(**CIC** अपील – सुरेश कुमार **Vs** नागपुर दक्षिण–पूर्वी रेल्वे अधीक वेतन भुगतान, वसूली संबंधी मामले)

18. कोइ फर्म **RTI** अधिनियम का लाभर्थी नहीं हो सकता।

(**CIC** अपील – घरेवा **Company Vs I.C.A.I.** में व्यक्तिगत आवेदन नहीं, 2007 समर्पित करने का मामला)

19. कार्यालय में स्वतः संधारित बेवसाईट को निरंतर अद्यतन रखने का निदेश।

(**IC** अपील – मनोज कमरा **Vs HPCL** में पेट्रोल/डिजल का तिथिवार दैनिक आवंटन, विक्रय आदि का गोपनीयता का ब्यौरा संबंधी मामले 2006)

20. अभिलेख प्रबंधन में चुस्ती लाने का निदेश।

(**CIC** अपील – धरमवीर सिंह **Vs** पंजाब विश्वविद्यालय में विशिष्ट पद पर अभ्यार्थियों के चयन हेतु तैयार मेधा सूची का मामला, 2006)

21. आवेदन के निष्पादन में जिस अधिकारी से सहायता मॉगी जाती वह **Deemed PIO** होगा।

(CIC अपील – मुज्जबुरहमान **Vs Coal Field Limited** छतीसगढ़ माने गए लोक सेवक महाप्रबंधक **(P&P)** को विलम्ब हेतु जिम्मेदार मामने संबंधी मामला, 2006)

22. सहायक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी से उपर का कर्मी जिसकी सहायता मॉगी गई हो, **RTI** के तहत पदाधिकारी समझे जाऐगें।

(CIC अपील – नीरज कुमार **Vs** खाद्य आपूर्ति विभाग, दिल्ली गरीब रेखा का प्रमाण पत्र की मॉग संबंधी मामला, 2006)

23. मुख्यमंत्रो/मंत्री कार्यालय भी लोक प्राधिकार की श्रेणी में।

(CIC-A- अपील – **S.P.** गुप्ता **Vs** दिल्ली सरकार **RTI** कायशाला में वितरित पुस्तका में मंत्री कार्यालय हेतु **PIO**/अपीलीय प्राधिकार नामित न करने संबंधी मामला, 2006)

24. आवेदन के लिए न तो किसी प्रपत्र और नही कारण का उल्लेख करना आवश्यक।

(**CIC-A-2006** अपील – **Smt. Madhu Bhaduri Vs** दिल्ली विकास प्राधिकरण, रेखा कोली **VS** दिल्ली विकास प्राधिकरण बिना **Type** सादे कागज पर आवेदन तथा कारण उल्लेख न करने का एवं एक फ्लैट की खरीदारी की विहित प्रक्रिया की मॉग संबंधी मामला)

25. विहित आवेदन शुल्क के बिना आवेदन या विचार नहीं किया जा सकता।

(**CIC-A-**अपील – गीता देवन वर्मा **Vs** नगर विकास मंत्रालय, योजनाओं के संबंध में सूचना मॉगी पर तयशुदा अवधि में शुल्क का भूगतान नहीं करने संबंधी मामला, 2006)

26. समय सीमा के अन्दर सूचना नहीं देने पर, आवेदक विलंब के क्षतिपूर्ति का हकदार।

(**CIC-A-**अपील – गीता वर्मा **Vs** नगर विकास विभाग, दिल्ली, मलिन वस्ती की साफाई संबंधी सूचना में देरी का मामला, 2007)

27. **BPL** आवेदन को निःशुल्क सूचना पर सुनिश्चित होना की सूचनार्थी **Proxy** नहीं है।

(CIC-A-अपील – शमा परवीन **(BPL) Vs** मानवाधिकार आयोग की नीतियों की जानकारी हेतु भारी शुल्क मॉगने के संबंध में मामला, 2007)

28. सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे तथा सामान्य कर्त्तव्यों का निर्वाह्न कर रहे सरकारी पदाधिकारी के जीवन एवं स्वतंत्रता का खतरा नहीं।

(CIC-A-अपील – **R.C.** शंखला **Vs DG** सर्तकता एवं निगरानी केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क वित्त मंत्रालय द्वारा पारित आदेश से संबंधित संचिकाओं को 48 घंटे में निरीक्षण करने का मामला, 2007)

सूचना के प्रकटन से छूट

1. वादी को अनुसंधान के मामले से संबंधित सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है।

(CIC-अपील – रविन्द्र कुमार Vs दिल्ली पुलिस कमिश्नर एक मुकदमें में पुलिस अनुसंधान संबंधी सूचना की मॉग, 2006)

2. आवेदक को अपनी पुत्री की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित पुलिस अनुसंधान की वांछित सूचना दी जा सकती है।

(CIC- अपील – मंगतो राम Vs आयुक्त दिल्ली पुलिस पीड़ित परिवार को सूचना देने से अनुसंधान में बराबर खड़ी नहीं होगी बल्कि परिवार का सहयोग मिल सकता है, 2006)

3. न्यायलय में विचाराधीन मामला का प्रकटन योग्य नहीं।

(CIC- अपील – अशोक अग्रवाल Vs राजस्व विभाग अपने विरूद्ध चलाए गए अभियोजन से संबंधित संचिकाओं की प्रमाणित प्रतियों की मांग संबंधी मामला)

4. न्यायलय में विचाराधीन मामला यदि निषिद्ध न किया हो प्रकटन योग्य है।

(CIC- अपील – वी0 मनियान Vs डाक विभाग, सेवाकाल में प्रोन्नति से वंचित किया जाने का मामला जो CAT में विचाराधीन है।)

5. निगरानी के जॉच परिणाम, अपीलकर्त्ता को प्रकटन योग्य है।

(CIC- अपील, 2006 – के0 राज Vs दिल्ली पुलिस अपने विरूद्ध निगरानी जॉच प्रतिवेदन की माँग में गोपनिय भाग को छोड़कर, जॉच परिणाम उपलब्ध कराने संबंधी मामला)

6. भ्रष्टाचार के मामले में जारी विभागीय जॉच से संबधित सूचना देय नहीं।

(CIC- अपील, 2007 – सर्वेश कौशल Vs FCI विभागीय जॉचकी पूर्णता होने कतिपय दस्तावेजों को उपलब्ध न कराने का मामला)

7. विभागीय जॉच से संबंधित प्रतिवेदन की संगत सूचना अपिलार्थी को देय है।

(CIC- अपील – नाहर सिंह Vs दिल्ली पुलिस अपने विरूद्ध लगाए गए आरोप की विभागीय जॉच में गवाहों के नाम को छोड़कर अन्य प्रतिवेदन उल्लंघन कराने का मामला, 2007)

8. अन्य मामलों की भॉति निगरानी केस के रेकार्ड–सूचना की श्रेणी में।

(CIC- अपील – K.C. अग्रवाल Vs शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार जिसमें CBI जॉच से संबंधित दस्तावेज पृथ्क कर संचिका को तत्संबंधी कार्यालय टिप्पणियॉ एवं पत्राचार भाग उपलब्ध कराय जाने का मामला, 2006)

9. नगरिकों को अपनी शिकायतों पर की गई जाँच के परिणाम से अवगत होने का अधिकार है।

(CIC- अपील – कमलेश लाल Vs NTPC में अधिकारियों द्वारा कॉरपोरेशन की राशि का गबन, वित्तिय अनियमितता संबंधी जॉच प्रतिवेदनों की मांग का मामला, यह व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में नहीं, 2006)

10. लिखित परीक्षा/अन्तर्वीक्षा/Cutoff प्राप्तांक संबंधी सूचना दिया जा सकता है।

(CIC- अपील – रजनीश चौधरी Vs UPSC अभ्यार्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत सबकुछ जानने का अधिकार के साथ अपना प्रक्रिया समाप्त पर चयन समिति का गठन संबंधी मामला)

11. Cutoff प्राप्तांक के साथ चयनित समिति की संरचना रूप की सूचना देने का आदेश।

(CIC- अपील – रजनीश चौधरी Vs UPSC रिजर्व पैनल के अभ्यार्थियों का परीक्षा समाप्ती के पश्चात् जानकारी देना, Cutoff maraks तथा सदस्यों की पहचान के बिना चयन पर्षद की संरचना जिसे प्रकट किए जाने से सुरक्षा को खतरा न हो की सूचचना संबंधी मामला, 2006)

12. अभ्यार्थियों को प्राप्तांक की जानकारी देय लेकिन मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका प्रकटन योग्य नहीं।

(**CIC-** अपील – नीरज सिंघल **Vs N-W** रेलवे जयपुर/जाजे पाल **VSS BSNL**, विभागीय परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतिलिपि, परीक्षा संचालन एवं परीक्षकों के बीच न्यायोक संबंध के कारण, लोक क्रियाकलाप का मामला नहीं हलॉकी प्राप्तांक का प्रकटन किया जाना नियमानुकूल–2006)

13. राष्ट्रपति तथा **SC** के **CJI** के बीच सलाह मशविरा की सूचना **RTI** के दायरे में नहीं।

(**CIC-** अपील – मुकेश कुमार **Vs** निबंधन **SC** में सलाह मशविरा, न्यायाधीक संबंध का मामला, **Third Party information** के कारण गोपनीय तथा सविधान के अनुसार 124(2) के अनुसार के तहत मनाही)

14. विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाही प्रकटन योग्य परन्तु **ACR** नहीं।

(**CIC-** अपील – **M.A.** खान **Vs** मुख्य आयकर आयुक्त दूसरे पदाधिकारियों का **ACR** व्यक्तिगत मामला लकिन विभागीय प्रोन्नती समिति का **Minutes**/कायवाही प्रकटन योग्य-2006)

15. चयन प्रक्रिया पुरी हो जाने पर समिति की कार्यवाहियॉ सार्वजनिक की जा सकती है।

(**CIC-** अपील – **G.N.** कुमार **Vs** जबलपुर रेलवे यात्री ट्रेन ड्राईवरों के चयन समिति के सदस्यों कि नाम उपलब्ध कराना न्याय संगत नहीं।

स्थानान्तरण एवं पदस्थापनों की सूचना देय।

प्रोन्नत व्यक्तियों के नाम एवं योग्यता उल्लंघन कराने पर कोई रोक नहीं।

चयन समिति/प्रोन्नति समिति का प्रान्नति संबंधी निवेदन सूचना के तहत देय नहीं।

चयन समिति की कायवाहियॉ प्रकटन योग्य।

16. अपने ग्राहकों की बैंक लेखा की गोपनीयता बरकरार रखना बैंको का दायित्व।

(**CIC-** अपील – **P.K.** जैन **Vs** देना बैंक रायपुर)

Thank You